

विदेश मंत्रालय

मांग संख्या 25

विदेश मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:

		बजट 2001-2002			संशोधित 2001-2002			बजट 2002-2003			
मुख्य शीर्ष		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
	राजस्व	272.00	2263.73	2535.73	240.00	2294.37	2534.37	365.60	2454.54	2820.14	
	पूँजी	148.00	199.66	347.66	160.00	135.63	295.63	234.40	183.80	418.20	
	जोड़	420.00	2463.39	2883.39	400.00	2430.00	2830.00	600.00	2638.34	3238.34	
1.	सचिवालय - सामान्य सेवाएं	2052	...	120.31	120.31	...	121.46	121.46	...	123.70	123.70
2.	विदेश कार्य										
2.1	राजदूतावास और मिशन	2061	...	756.09	756.09	...	759.92	759.92	...	787.82	787.82
2.2	पासपोर्ट और उत्प्रवास	2061	...	98.47	98.47	...	99.64	99.64	...	101.23	101.23
2.3	प्रशिक्षण	2061	...	1.58	1.58	...	2.10	2.10	...	2.15	2.15
2.4	विशेष राजनयिक व्यय	2061	...	711.85	711.85	...	690.01	690.01	...	785.01	785.01
2.5	अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन/बैठकें	2061	...	1.00	1.00	...	0.70	0.70	...	1.20	1.20
2.6	मनोरंजन प्रभार	2061	...	23.00	23.00	...	28.00	28.00	...	24.50	24.50
2.7	बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण	2061
2.8	अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग	2061	...	35.28	35.28	...	38.95	38.95	...	40.37	40.37
2.9	अन्य व्यय										
(क)	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद को अनुदान	2061	...	40.00	40.00	...	41.62	41.62	...	42.43	42.43
(ख)	युद्ध/नागरिक अशांति के कारण भारतीयों का विस्थापन	2061	...	0.13	0.13	...	0.13	0.13	...	0.05	0.05
(ग)	भारत-फ्रांस मंच	2061	...	0.42	0.42	...	0.60	0.60	...	0.50	0.50
(घ)	अन्य विविध मदें	2061	...	38.52	38.52	...	21.51	21.51	...	24.44	24.44
	जोड़-अन्य व्यय			79.07	79.07		63.86	63.86		67.42	67.42
	जोड़-विदेश कार्य			1706.34	1706.34		1683.18	1683.18		1809.70	1809.70
3.	विविध सामान्य सेवाएं - मुद्रा हानि	2075	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
4.	अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग और विदेशी सरकारों को अग्रिम	3605	...	9.00	9.00	...	4.00	4.00	...	10.00	10.00
(i)	बंगलादेश	7605	...	105.45	105.45	...	57.42	57.42	...	80.00	80.00
	जोड़			114.45	114.45		61.42	61.42		90.00	90.00
(ii)	भूटान	3605	272.00	210.00	482.00	240.00	255.00	495.00	365.60	231.45	597.05
	जोड़	7605	148.00	...	148.00	160.00	...	160.00	234.40	...	234.40
	जोड़		420.00	210.00	630.00	400.00	255.00	655.00	600.00	231.45	831.45
(iii)	नेपाल	3605	...	109.00	109.00	...	60.25	60.25	...	107.25	107.25
	जोड़	7605	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
	जोड़		...	109.01	109.01	...	60.26	60.26	...	107.26	107.26
(iv)	श्रीलंका	3605	...	16.00	16.00	...	17.25	17.25	...	18.00	18.00
(v)	मालदीव	3605	...	8.75	8.75	...	8.80	8.80	...	9.00	9.00
(vi)	म्यांमार	3605	...	20.75	20.75	...	16.78	16.78	...	18.13	18.13
(vii)	अन्य विकासशील देश	3605	...	56.10	56.10	...	114.94	114.94	...	116.55	116.55
	जोड़	7605
	जोड़		...	56.10	56.10	...	114.94	114.94	...	116.55	116.55
(viii)	अफ्रीकी देशों को सहायता	3605	...	5.25	5.25	...	7.70	7.70	...	5.25	5.25
(ix)	मध्य एशिया	3605	...	2.22	2.22	...	5.00	5.00	...	5.50	5.50
	जोड़		420.00	542.53	962.53	400.00	547.15	947.15	600.00	601.14	1201.14
5.	लोक निर्माण कार्य	4059	...	67.20	67.20	...	50.78	50.78	...	67.20	67.20
6.	आवास	4216	...	27.00	27.00	...	27.42	27.42	...	36.59	36.59
	कुल जोड़	420.00	2463.39	2883.39	400.00	2430.00	2830.00	600.00	2638.34	3238.34	
ग.	आयोजना परिव्यय	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं. जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं. जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं. जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं. जोड़	
	केन्द्रीय योजना	13605	420.00	...	420.00	400.00	...	400.00	600.00	...	600.00

1. **सचिवालय** - इसमें विदेश मंत्रालय के सचिवालय तथा विदेशों में प्रचार कार्य पर होने वाले व्यय के लिए प्रावधान किया गया है।

2. विदेश मामले

2.1 **राजदूतावास तथा मिशन** - इसमें विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले 157 मिशनों/केंद्रों के लिए व्यय का प्रावधान किया गया है। सं.अ. 2001-02 में बढ़ी हुई आवश्यकता मुख्यतया रुपया/डालर दरों में लगभग 7% परिवर्तन के कारण तथा लागतों में विश्व-व्यापी आम वृद्धि के कारण है।

ब.अ. 2002-03 में विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केंद्रों पर वस्तुओं और सेवाओं की लागत में संभावित वृद्धि को हिसाब में लेते हुए प्रत्याशित व्यय के लिए प्रावधान किया गया है।

2.2 **पासपोर्ट और उत्त्रवास** - सं.अ. 2001-02 तथा ब.अ. 2002-03 में वृद्धि मुख्य रूप से पासपोर्ट कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम, मशीन पठनीय पासपोर्ट पुस्तिकाओं, तथा जम्बो पासपोर्ट पुस्तिकाओं के मुद्रण, पासपोर्ट आवेदन प्रपत्रों, वीसा स्टीकरों, इंडेक्स कार्ड की आंकड़ा प्रविष्टि, नए खोले गए पासपोर्ट कार्यालयों/संग्रहण केंद्रों के कारण वर्धित व्यय, बढ़े हुए किरायों आदि की पूर्ति के लिए है।

2.3 **प्रशिक्षण** - इस शीर्ष के अंतर्गत विदेश सेवा संस्थान द्वारा भारतीय और विदेशी राजनयिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रावधान किया गया है।

2.4 **विशेष राजनयिक व्यय** - इसमें विवेकाधीन व्यय का प्रावधान किया गया है।

2.5 **अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/बैठकें** - यह प्रावधान भारत में आयोजित बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/बैठकों पर व्यय के लिए है। ब.अ. 2002-2003 में वृद्धि प्रत्याशित उच्च स्तरीय बहुपक्षीय बैठकों के कारण है जिनके भारत में आयोजित किए जाने की सम्भावना है अर्थात् भारत-जापान विशिष्ट व्यक्ति समूह तथा भारत-चीन विशिष्ट व्यक्ति समूह।

2.6 **मनोरंजन प्रभार** - सं.अ. 2001-02 तथा ब.अ. 2002-03 में वृद्धि मुख्यतः आने वाले अतिविशिष्ट व्यक्तियों के दौरों से संबंधित सेवाओं की लागत में वृद्धि, भारतीय वायु सेना के एयरलिफ्ट प्रभारों में वृद्धि तथा हैदराबाद हाऊस के उन्नयन तथा मरम्मत कार्य के कारण है।

2.8 **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग**: इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ तथा इसकी एजेंसियों, राष्ट्रमंडल सचिवालय, राष्ट्रमंडल फाउंडेशन, सार्क सचिवालय, स्कैप कार्यक्रम तथा एशिया प्रशांत में सुरक्षा सहयोग परिषद को किए जाने वाले अनिवार्य अंशदान

के लिए प्रावधान किया गया है। प्रमुख विदेशी मुद्राओं की तुलना में भारतीय रुपए के संभावित मूल्यहास के कारण रुपए में अंशदान में होने वाली वृद्धि के कारण बढ़ोतरी की गई है।

2.9 **अन्य व्यय**: इसमें पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं के सीमांकन, उप-राष्ट्रपति के विदेशी दौरों, हज सद्भावना प्रतिनिधिमण्डलों, विदेश मंत्रालय के होस्टलों, विभिन्न संस्थाओं को अनुदान सहायता, विदेशों में गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस समारोहों आदि के लिए प्रावधान शामिल हैं। इसमें भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आई.सी.सी.आर) के विस्तार क्रियाकलापों यथा विदेशों में नए सांस्कृतिक केन्द्र/पीठों की स्थापना तथा विदेश के विधार्थियों, मैनो द लैंड को प्रदत्त छात्रवृत्तियों की वर्धित लागत तथा भारतीय विश्व मामला परिषद् को अतिरिक्त अनुदान हेतु चालू वर्ष के लिए 40.00 करोड़ रुपए और अगले वित्तीय वर्ष के लिए 42.43 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय शांतिरक्षा प्रशिक्षण पर व्यय के लिए भी प्रावधान किया गया है।

3. **मुद्रा हानि** : इस शीर्ष के अंतर्गत एक करेंसी से दूसरी करेंसी में रूपांतरण करने आदि के कारण विदेश स्थित हमारे मिशनों/चौकियों द्वारा उपगत निवल हानि के लिए प्रावधान किया गया है। चूंकि आवश्यकता का सही अनुमान लगाना संभव नहीं है इसलिए इस शीर्ष के अंतर्गत केवल सांकेतिक प्रावधान किया गया है।

4. **अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग तथा विदेशी सरकारों को अग्रिम** : यह प्रावधान विभिन्न द्विपक्षीय करारों तथा अन्य विशेष कार्यक्रमों के तहत पड़ोसी और अन्य विकासशील देशों को तकनीकी और आर्थिक सहायता देने के लिए किया गया है। प्रधानमंत्री की घोषणाओं के दृष्टिगत निम्न प्रावधान किए गए हैं अर्थात् ताजिकीस्तान को सहायता के लिए 23.62 करोड़ रुपए, सीएफवाई में 6.00 करोड़ रुपए तथा नाइजीरिया में एचएमटी के साथ नाइजीरिया मशीन टूल्स परियोजना के पुनरुद्धार के लिए अगले वित्तीय वर्ष में 9.00 करोड़ रुपए तथा मंगोलिया को मानवता के आधार पर सहायता के लिए 1.00 करोड़ रुपए। इस प्रावधान में आपदा राहत सहायता के लिए प्रावधान भी शामिल है।

विदेशी सरकारों को अग्रिमों का प्रावधान क्रमशः बंगलादेश और भूटान की सरकारों को इन देशों में विकासात्मक निर्माण कार्यों के लिए उधारों/ऋणों की श्रृंखला देने के लिए है।

5-6. **लोक निर्माण एवं आवासन** : यह प्रावधान मुख्य रूप से विदेशों में रिहायशों एवं कार्यालयों के अधिग्रहण/निर्माण तथा रख-रखाव के लिए है।